

न्यायालय सभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 390/2013 जीसीएमएस संख्या 2013/00001

1. सुरजन सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह,
2. सरदार सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह,
3. रतन सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह,
4. जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह, समस्त जातियान रायसिख, निवासीयान ग्राम दादर, तहसील मालाखेडा, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान ।

-अपीलाट्स

बनाम

1. नानकी बाई पत्नी स्व० श्री बचन सिंह,
2. सुरजीत सिंह पुत्र स्व० श्री बचन सिंह,
3. मंगल सिंह पुत्र स्व० श्री बचन सिंह,
4. सतनाम सिंह पुत्र स्व० श्री बचन सिंह,
5. कुलवन्त सिंह पुत्र स्व० श्री बचन सिंह, (फौत)
5/1 सतनाम कौर
5/2 पूजा कौर
5/3 सोमा कौर
5/4 राजविन्द्र कौर नाबालिग जरिये माता सतमानौ कौर पत्नी कुलवन्त सिंह
6. माया देवी पुत्र स्व० श्री बचन सिंह,
7. प्रीतो बाई पुत्री स्व० श्री बचन सिंह,
8. जसवन्त कौर पुत्री स्व० श्री बचन सिंह, समस्त जातियान रायसिख, निवासीयान ग्राम दादर, तहसील मालाखेडा, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान ।
9. राणो बाई उर्फ राजो देवी पुत्री स्व० श्री बचन सिंह (मृतक) दौराने अपील,
9/1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह (पति),
9/2. अमरजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह (पुत्र), निवासीयान ग्राम बीठलपुर, तहसील साँठवा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ।
10. बलवीर सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, जाति रायसिख (मृतक) दौराने अपील,
10/1. बचनो बाई पत्नी बलबीरसिंह,
10/2 कुलवन्त सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह,
10/3. शकुन्तला कौर पुत्री बलबीर सिंह पत्नी रेशम सिंह,
10/4. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह,
10/5. सुनीता कौर पुत्री श्री बलबीर सिंह, समस्त जातियान रायसिख, निवासीयान ग्राम दादर, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर, राजस्थान ।
11. सन्त सिंह पुत्र हरनाम सिंह, जाति रायसिख, निवासी ग्राम दादर, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर, राजस्थान ।
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर, राजस्थान ।

-रेस्पोडेण्टरा

13. मु० प्यारो बाई पत्नी स्व० श्री रामसिंह रायसिख,
14. वीरा बाई पुत्री स्व० श्री रामसिंह, जाति रायसिख, निवासीयान ग्राम दादर तहसील मालाखेडा, जिला अलवर, राजस्थान ।

-तरतीबी रेस्पोडेन्ट

न्यायालय आयुक्त
जयपुर

अपील विरुद्ध आज्ञा अदालत नायब तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर की हरा दो आज्ञा दिनांक 24.10.1994 एवं 31.12.12 को निरस्त की जाकर बचन सिंह व उसके बाद दर्ज रैसपो० संख्या 1 ला० 9 का नाम कलमजन किया जाकर मिन अपीलाण्टान के नाम बहैसियत वारिस काबिज जायदाद रामसिंह के दर्ज किया जावे एवं अन्य उचित आज्ञा बहक अपीलाण्टान सादिर की जावे

उपस्थित-

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री हरिप्रसाद जांगिड वकील रैसपोडेन्ट नं. 1 से 8 की ओर से।
3. श्री अजय गोयल वकील रैसपोडेन्ट नं. 10/1 से 10/5 एवं 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांक-14.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवरके निर्णय दिनांक 24.10.1994 एवं 31.12.2012 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा-5 के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवरके उक्त निर्णय दिनांक 24.10.1994 एवं 31.12.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 24.10.1994 एवं 31.12.2012 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
3. अपील प्रस्तुत होने पर रैसपोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाण्टान एवं तरतीबी रैसपो० के पिता व पति स्व० रामसिंह पुत्र गण्डा सिंह के नाम साबिक आराजी खसरा नम्बर 516 रकबा 7 बिस्वा 517 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 997 रकबा 9 ऐयर, 998 रकबा 45 ऐयर वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा तहसील व जिला अलवर राजस्थान पर वाके है। उक्त आराजी अपीलाण्टान के पास उनके स्व० पिता व पति रामसिंह की मृत्यु के बाद प्राप्त हो चुकी है। उक्त आराजीयात की बाबत एक राजस्व वाद संख्या 1/1 अदालत सहायक कलैक्टर मुख्यालय अलवर के समक्ष बअनुवान सुरजन सिंह बनाम बचन सिंह अपीलाण्ट संख्या एक द्वारा इस आश्य का पेश किया गया था कि उनके पिता स्व. रामसिंह ने उक्त आराजीयात को दिनांक 03.10.1994 को रैसपोडेण्टान बचन सिंह को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड बेचान कर दिया था जो विधि विरुद्ध था क्योंकि स्व० रामसिंह को उक्त आराजीयात को अकेले बेचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं था तथा यह समस्त आराजी स्व० रामसिंह के उक्त चारो पुत्र जो कि उक्त वाद मे भी अपीलाण्टान ही थे कि सयुक्त खातेदारी की आराजी है। तथा रैसपोडेण्टान संख्या 1 ला० 9 के पति व पिता बचन सिंह ने अपीलाण्टान के पिता रामसिंह को बहला

फुसलाकर धोखे से इस विवादित आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 03.10.1994 को अपने नाम करवा लिया गया है इसलिये इस रजिस्टर्ड बैयनामा को अपीलान्टान के हकूको के विरुद्ध नल एण्ड वाईड घोषित किया जावे अपीलान्टान ने उक्त वाद मे यह भी कथन किया था कि उसने उक्त आराजी पर बचन सिंह को कभी कब्जा नहीं दिया है ना ही बचन सिंह ने रामसिंह को कोई बैय की रकम अदा की है। बचन सिंह ने इकबाल दावा के अतिरिक्त एक हलफनामा न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यावास अलवर मे पेश करते हुये कथन किया गया कि उक्त आराजी की रजिस्ट्री को बातिल व बेअसर करार दिये जाने मे उसको कोई एतराज नहीं होगा। और इस आराजी पर आज भी मेरे यानि अपीलान्टान के पिता व पति का ही कब्जा चला आ रहा है। इस दावा मे जमीन के समस्त कागजात पेश किये गये थे तथा बाद बहस न्यायालय ने उक्त आराजी का बैयनामा दिनांक 03.10.1994 को बातिल व बेअसर करार दिये जाने का आदेश दिनांक 24.07.2000 पर्चा डिग्री दिनांक 01.08.2000 प्रदान कर दिया।

उक्त निर्णय व आदेश चूकि राजीनामा के जरिये पारित किया गया था इसलिये इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील रिविजन इत्यादी भी किसी न्यायालय मे करना संभव नहीं था। जिस निर्णय व डिग्री से रैस्पोडेण्टान संख्या 1 ला0 9 पूर्णतया पाबन्द थे व है ! उक्त निर्णय एवं डिग्री अपीलान्टान के पिता स्व. रामसिंह के पक्ष मे होने के बावजूद बचन सिंह की मृत्यु दिनांक 07.06.09 के बाद दिनांक 18.03.2011 को रैस्पो0 ने न्यायालय जिला कलैक्टर अलवरके समक्ष इस इन्तकाल आदेश को यह कहते हुये चुनौती दी कि उक्त विवादित आराजी पर उनका ही कब्जा है तथा यह आराजी उनके पास रामसिंह पुत्र गण्डा सिंह द्वारा उनके पिता बचन सिंह पुत्र लाल सिंह के पक्ष में कराये गये बैयनामा दिनांक 06.10.94 के आधार पर प्राप्त हुई है जबकि रैस्पो0 को इस तथ्य का भली भाँति ज्ञान था कि यह रजि0 सहायक कलैक्टर अलवर द्वारा दिनांक 01.08.2000 के द्वारा बातिल एवं बेअसर घोषित की जा चुकी है परन्तु रैस्पो0 द्वारा जिला कलैक्टर अलवर को मुगालते मे रखते हुये तथा इस निरस्तीकरण रजिस्ट्री आदेश को छुपाते हुये रिमाण्ड किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये तथा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा बिना किसी तथ्यो की जाँच किये दिनांक 07.11.12 को बचन सिंह के उक्त सभी वारिसान के नाम इन्तकाल खोले जाने के आदेश जारी किये गये ! इस आदेश को आधार बनाते हुये रैस्पोडेण्टान संख्या 1 ला0 9 ने रैस्पो0 संख्या 10-11 को उक्त आराजी का बेचान 12,00,000/-रु0 मे दिनांक 09.04.13 को कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्टान को दिनांक 07.08.13 को उस समय प्राप्त हुई जब प्रतिवादी संख्या 1 ला0 9 द्वारा रैस्पो0 संख्या 10-11 को कब्जा संभलया जा रहा था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यो पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्टान आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्टान नामान्तरकरण आदेश तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर 24.10.1994 एवं 31.12.2012 निरस्त किया जावे।


5. रैस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण द्वारा आराजी के खातेदार से जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.1994 खरीद की थी और मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया था जिसका उल्लेख बैयनामा में है। रैस्पो0 के पति व पिता ने उक्त

बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष आवेदन किया गया जो कि तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से खारिज फरमा दिया गया। रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 9 मौके पर काबिज हैं। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 19.12.1994 को खारिज फरमा दिया गया जबकि उक्त आराजीयात् जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर खरीद की हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा विधिवत उचित जाँच पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 19.12.1994 को निरस्त कर रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये हैं एवं इसकी पालना में ही तहसीलदार मालाखेडा द्वारा दिनांक 07.11.2012 को रेस्पोंड के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये हैं और दिनांक 31.12.2012 को नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्पक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।


6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन नामा० की जानकारी देरी से प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा तहसील व जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 516 रकबा 7 बिस्वा 517 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 997 रकबा 9 ऐयर, 998 रकबा 45 ऐयर के मृतक खातेदार रामसिंहपुत्र गण्डा सिंह की विरासतको लेकर है। उक्त आराजीयात के संबंध में एक राजस्व वाद अदालत सहायक कलैक्टर मुख्यालय अलवर के समक्ष बअनुवान सुरजन सिंह बनाम बचन सिंह अपीलाण्ट संख्या पेश किया गयाजिस पर न्यायालय द्वारा उक्त आराजी का बैयनामा दिनांक 06.10.1994 को बातिल व बेअसर करार दिये जाने का आदेश दिनांक 24.07.2000 पर्चा डिग्री दिनांक 01.08.2000 प्रदान कर दिया। तत्पश्चात् बचन सिंह द्वारा निरस्तीकरण रजिस्ट्री आदेश के बाबजूद उक्त बैयनामों के आधार पर पुनः तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष नामा० दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया जो कि कब्जा ना होने के स्थिति में खारिज फरमा दिया गया जिसकी अपीलजिला कलक्टर अलवर के समक्ष होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिमाण्ड किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये तथा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा दिनांक 07.11.12 को बचन सिंह के उक्त सभी वारिसान के नाम इन्तकाल खोले जाने के आदेश जारी किये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त आराजीयात के संबंध में सहायक कलैक्टर मुख्यालय अलवर द्वारा बैयनामा दिनांक 06.10.1994 को बातिल व बेअसर करार दिये जाने का आदेश दिनांक 24.07.2000 पर्चा डिग्री दिनांक 01.08.2000 प्रदान कर दिया गया एवं राजस्व वाद के दौरान बचन सिंह ने हलफनामा प्रस्तुत कर स्वयं ने उसके पक्ष में की गई रजिस्ट्री को निरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रस्तुत की हैं तो उसी बैयनामों के आधार पर पुनः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा बिना अपीलांट्स को पक्षकार बनाये एवं सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना, एवं राजस्व वाद के निर्णय का अवलोकन किये बिना ही नामा० संख्या 2 दिनांक 19.12.1994 को निरस्त किया जाकर रेस्पोंड के वारिसान् के पक्ष में नामा० आदेश दिया जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है एवं इसकी पालना में ही तहसीलदार

मालाखेडा द्वारा नामान्तरकरण आदेश 31.12.2012 पारित किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर का निर्णय दिनांक 24.10.1994 एवं 31.12.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।


(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर